न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 84/2024

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
कालुराम पुत्र किरताराम कुम्हार निवासी ढेलाणा, तहसील लोहावट जिला जोधपुर		1. कोजाराम पुत्र आलमराम 2. गोमदराम उर्फ गोविन्दराम पुत्र आलमराम 3. हरीराम पुत्र आलमराम (जाति कुम्हार, निवासी ढेलाणा तह0 लोहावट, जिला फलौदी) 4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला फलौदी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी लोहावट राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 03/2024 निर्णय दिनांक 14.02.2024

उपस्थिति –
1. श्री जगदीश प्रजापत वकील अपीलांट
2. श्री पूनाराम विश्नोई वकील रेस्पो0सं0 1 से 3
3. श्री नवलसिंह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 4 की ओर से

निर्णय

दिनांक 02.09.2024

प्रस्तुत राजस्व अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 3–कोजाराम वगैरा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128, राज0 भू–राजस्व अधि0, 1956 प्रस्तुत कर तहसील लोहावट के ग्राम ढेलाणा स्थित अपने खातेदारी व कब्जाकाश्त खसरा नं0 4 रकबा 4.6134 हैक्टर व खसरा नं0 4/1 रकबा 4.6053 हैक्टर भूमि की नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी करवाने हेतु प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 14.02.2024 द्वारा स्वीकार कर प्रार्थी–रेस्पो0 के उल्लेखित खसरान की भूमि पर पत्थर सीमांकन करवाने का आदेश पारित किया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू–राजस्व अधि0 1956 की धारा 75 के तहत यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। दौरान बहस अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में मुख्यतः यह निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0सं0 1 से 3–प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह आग्रह किया कि ग्राम ढेलाणा की सरहद में प्रार्थी के खसरा नं0 4 एवं 4/1 का सीमांकन किया गया,

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

लेकिन पडौसी खातेदारों द्वारा विवाद करने पर खूंटे रोपने नही दिया, इसलिए पत्थगढी किये जाने का आदेश फरमावे। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकार करने में कानूनी एवं वाक्याती भूल की है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पडौसी खातेदारों को न तो पक्षकार बनाया गया और न ही उन्हें सुनवाई का अवसर दिया गया। अपीलांट खसरा नं0 5 का रेकर्डेड खातेदार है। वादग्रस्त खसरान का सीमाकंन दिनांक 8.1.24 को किया गया था, जिस पर अपीलांट ने एतराज व्यक्त किया गया एवं सहमत नही होने का उल्लेख किया गया। फिर भी उसी रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो निरस्त योग्य है। रेस्पो0–प्रार्थी अपीलाधीन आदेश की आड़ में अपीलांट की खातेदारी भूमि पर कब्जा करना चाहते है। अतः अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्त फरमाने का आग्रह किया गया।

जवाब में रेस्पो0सं0 1 से 3–प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में मुख्यतः यह आग्रह किया कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाकंन करवाकर पत्थगढी करवाना चाहता है। जिसके लिए उसने वादगस्त खसरान की भूमि का सीमाकंन/पैमाईश हेतु नियमानुसार तहसीलदार लोहावट के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सीमाकंन शुल्क जमा करवाया गया। जिस पर तहसीलदार लोहावट के आदेशानुसार दिनांक 8.1.24 को मौके पर सीमाचिन्ह पर निशान करवाये गये तथा खातेदार व पडौसी खातेदारों को कणा–माठ बताई गई तो पडौसी खातेदारों द्वारा विवाद करने पर पैमाईश अनुसार खुटे रोपने नही दिये गये व मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नही किए गये। वादग्रस्त खसरान की भूमि पर सीमाकंन व तारबंदी नही होने से मवेशी आदि प्रार्थीगण की फसल को नुकसान पहुंचाते है। इसलिए प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्थरगढी हेतु नियमानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है, अपीलांट बेवजह प्रार्थीगण की भूमि की पत्थरगढी में बाधा उत्पन्न कर रहा है। जबकि मौके पर अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से यथावत रखने का आग्रह किया गया।

रेस्पो0सं0 4 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए, प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर प्रकट है कि आलौच्य

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त

प्रकरण में मौका फर्द सीमाकंन दिनांक 8.1.24 के अनुसार रेस्पो0सं0 1 से 3–प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त खसरान की भूमि का सीमाकंन हेतु तहसीलदार लोहावट के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार लोहावट के आदेश रजिस्टर के पृष्ठ सं0 19 क.सं. 166 दिनांक 20.11.23 की पालना में हल्का पटवारी द्वारा ग्राम ढेलाणा के उल्लेखित खसरा नं0 4 व 4/1 की भूमि का सीमाकंन किया गया व उपस्थित खातेदार एवं पडौसी खातेदार जो सहमत है के हस्ताक्षर करवाये गये। अपीलांट किस वजह से उक्त सीमाकंन से सहमत नही है, इसका कोई ठोस कारण वर्तमान अपील में प्रकट नही है। दौरान बहस यह भी प्रकट हुआ कि मौके पर अपीलाधीन आदेश की पालना हो चुकी है। अतः उक्त समस्त परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी–रेस्पो0सं0 1 से 3 के प्रार्थना पत्र में पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत प्रतीत है।

अतः उपर्युक्त विवेचन एवं विश्लेषण के परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नही पायी जाने से तद्नुसार खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2024 में पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.02.2024 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02 सितम्बर, 2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

02.09.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर